



॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी ॥

पत्रांक :- 1400 / 12-1, पौड़ी, दिनांक, 24 मार्च, 2021.

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
पौड़ी।

206/23030
दिनांक 26-3-21

विषय :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देमलचौरी-पौड़ी मोटर मार्ग से चामापाणी-धौलकण्ठी होते हुये कांडा मन्दिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/41319/2019)

संदर्भ:-

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2307 / FP/UK/ROAD/41319/2019 दिनांक 05.03.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या SB/UCP/06/120/2020/FC/2347 दिनांक 22.02.2021 के क्रम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षों तक रख-रखाव की धनराशि एवं एन०पी०वी० की धनराशि का डिमाण्ड नोट निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है:-

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं० 972/3-5-2 देहरादून दिनांक 21 नवम्बर 2017 के अनुसार दो गुना क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धनराशि की देयता निम्न प्रकार है:-

बिन्दु सं० 1- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दो गुना भूमि
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दर प्रति हे०
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धनराशि

— 2.125 हे० X 2 = 4.25 हे०
— रु० 337184.00
— 4.250 हे० X 337184.00 = 1433032.00

बिन्दु सं० 2-एन०पी०वी० की धनराशि

एन०पी०वी० की धनराशि का भारत सरकार एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता धनराशि निम्न प्रकार है:-

ईको क्लास
हरियाली का घनत्व
एन०पी०वी० की दर प्रति हे०
आवेदित वन भूमि क्ष०
बिन्दु सं० 1 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धनराशि
बिन्दु सं० 2 एन०पी०वी० की धनराशि

कुल धनराशि

— III
— 0.2
— रु० 803000.00
— 2.125 हे० X 803000.00 = 1706375.00
— 1433032.00
— 1706375.00
— 3139707.00

(इक्कीस लाख उनचासी हजार सात सौ सात)

भवती

(सोहन लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक :-

तददिनांकित

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को
उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

206/23030

26/3/21

(सोहन लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी।